# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर , सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी :– कमला अलारिया (आर. ए.एस)

**प्रकरण संख्या :– 52/2020** **दायरा दिनांक :–12.10.2020**

मनीराम पुत्र चुनाराम जाति जाट निवासी देईदासपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–अपीलांट

बनाम

1. नोंरा पुत्री चुनाराम पत्नी पुरखाराम जाट निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. मेई देवी पुत्री चुनाराम पत्नी मामराज जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. चन्दुराम पुत्र चुनाराम जाति जाट निवासी देईदासपुरा तहसील सूरतगढ़ (मृतक) जरिये वारिसान
   - 3/1 परमेश्वरी पुत्री स्व. चन्दुराम जाति जाट निवासी देईदासपुरा तहसील सूरतगढ़
   - 3/2 विद्यादेवी पुत्री स्व. चन्दुराम जाति जाट निवासी देईदासपुरा तहसील सूरतगढ़
   - 3/3 कलावती पुत्री स्व. चन्दुराम जाति जाट निवासी देईदासपुरा तहसील सूरतगढ़
   - 3/4 पुष्पादेवी पुत्री स्व. चन्दुराम जाति जाट निवासी देईदासपुरा तहसील सूरतगढ़
   - 3/5 रामलाल पुत्र स्व. चन्दुराम जाति जाट निवासी देईदासपुरा तहसील सूरतगढ़

– रेस्पोडेंटस

## अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री संजीव कालिया एवं श्री श्याम सुन्दर चाण्डक अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मूलचन्द शर्मा, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1, 3/1 ता 3/5
3. श्री अमित सैनी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2

–:: निर्णय ::– दिनांक :–02.03.2022

अपीलांट यह अपील उपतहसीलदार राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ़ द्वारा स्वीकृत रोही कोनपालसर के खसरा न. 60 में 4.173 है0, खसरा न. 177 में 8.852 है0, खसरा न. 458/185 में 4.298 है0 तथा खसरा न. 459/186 में 4.175 है0 कुल 21.498 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि का इंतकाल संख्या इंतकाल संख्या 652 दिनांक 02.9.2020 निरस्त करने बाबत इस न्यायालय में पेश की गई है। प्रकरण के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार से है कि चन्दुराम के वारिसान परमेश्वरी आदि द्वारा अपीलांट के विरूद्व एक वाद पत्र न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 53, 183, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया जो वाद संख्या 133/08 पर अनवानी परमेश्वरी आदि बनाम मनीराम से दर्ज रजिस्टर किया गया बाद में एक अन्य वाद मुझ अपीलांट मनीराम की बहन नोंरा ने न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ के न्यायालय में अन्तर्गत धारा धारा 88, 53,183, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया जो वाद संख्या 171/13 पर अनवानी नोंरा बनाम मनीराम आदि से दर्ज किया गया। दोनों वाद पत्रों को एक साथ सुना जाकर एक निर्णय से ही दोनों वाद पत्र स्वीकार कर सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ निर्णय व डिकी दिनांक 31.8.2018 पारित करते हुए नोंरा, मनीराम(अपीलान्ट), चन्दुराम, मेईदेवी को 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित कर दिया गया तथा चन्दुराम के 1/4 हिस्सा में वाद संख्या 133/08 अनुसार दर्ज वादीगण को ब.हि.ब. का खातेदार घोषित कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

होकर अपीलान्ट द्वारा दोनो वादो के विरूद्ध अलग अलग अपीले माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर में प्रस्तुत की जो अपील संख्या 96/2015 तथा 24/2016 पर दर्ज की गई तथा दोनो अपीलों का एक साथ निर्णय पारित कर श्रीमान न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपील दिनांक 17.03.2016 को उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 31.08.2015 को अपास्त कर दिया तथा पर्चा डिक्री जारी कर दी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ ने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2015 (जो डिक्री दिनांक 17.03.2016 को ही निरस्त की जा चुकी थी) के आधार पर दिनांक 05.07.2017 को इन्तकाल संख्या 652 खोला तथा इतने वर्षो तक पेन्डिग रखते हुए अब अचानक दिनांक 02.09.2020 को स्वीकृत कर दिया। उक्त स्वीकृत इंतकाल खिलाफ कानून, रिकार्ड के विपरीत, गलत तथ्यों पर आधारित, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्त करने योग्य है। तहसीलदार सूरतगढ़ ने इतने वर्षो से पेन्डिग इन्तकाल को स्वीकृत करने से पूर्व वर्तमान स्थिति के बारे में भी कोई जानकारी नहीं ली तथा सरसरी तौर पर ही गैरकानूनी रूप से इसे स्वीकृत कर दिया। उक्त इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी किया गया और ना ही सुना गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से स्वीकृत किया गया इंतकाल खारिज किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट हाजिर। रेस्पो0 संख्या 1 व 3/1 ता 3/5 की ओर से अधिवक्ता श्री मूलचन्द शर्मा उपस्थित आये। रेस्पो0 संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अमित सैनी हाजिर हुए। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि चन्दुराम के वारिसान परमेश्वरी आदि द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एक वाद पत्र न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड़ अधिकारी, सूरतगढ के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 53, 183, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया जो वाद संख्या 133/08 पर अनवानी परमेश्वरी आदि बनाम मनीराम से दर्ज रजिस्टर किया गया बाद में एक अन्य वाद मुझ अपीलांट मनीराम की बहन नोंरा ने न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ के न्यायालय में अन्तर्गता धारा धारा 88, 53, 183, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया जो वाद संख्या 171/13 पर अनवानी नोंरा बनाम मनीराम आदि से दर्ज किया गया। दोनों वाद पत्रों को एक साथ सुना जाकर एक निर्णय से ही दोनों वाद पत्र स्वीकार कर सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ निर्णय व डिक्री दिनांक 31.8.2018 पारित करते हुए नोंरा, मनीराम(अपीलान्ट), चन्दुराम, मेईदेवी को 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित कर दिया गया तथा चन्दुराम के 1/4 हिस्सा में वाद संख्या 133/08 अनुसार दर्ज वादीगण को ब.हि.व. का खातेदार घोषित कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा दोनो वादो के विरूद्ध अलग अलग अपीले माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर में प्रस्तुत की जो अपील संख्या 96/2015 तथा 24/2016 पर दर्ज की गई तथा दोनो अपीलों का एक साथ निर्णय पारित कर श्रीमान न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 17.03.2016 को उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 31.08.2015 को अपास्त कर दिया तथा पर्चा डिक्री जारी कर दी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ ने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2015 (जो डिक्री दिनांक 17.03.2016 को ही निरस्त की जा चुकी थी) के आधार पर दिनांक 05.07.2017 को इन्तकाल संख्या 652 खोला तथा दिनांक 02.9.2020 को स्वीकृत कर दिया । चूंकि जब उक्त डिक्री ही माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 17.3.2016 को खारिज कर दी गई थी जो उक्त डिक्री के आधार पर स्वीकृत इंतकाल दिनांक 02.9.2020 स्वतः ही खारिज हो गया। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का इंतकाल खारिज किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1, 3/1 ता 3/5 ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के प्रकरण अपील संख्या 96/2015 अनवान मनीराम बनाम परमेश्वरी व अपील संख्या 24/2016 मनीराम बनाम परमेश्वरी निर्णय दिनांक 17.3.2016 में नोंरा के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

विरूद्व कोई आदेश पारित नही हुआ है। नोंरा के नाम से दर्ज इंतकाल विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट ने जवाब बहस में कथन किया कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के प्रकरण अपील संख्या 24/2016 का अनवान सहवन से मनीराम बनाम परमेश्वरी अंकित हो गया था, जिसकी दुरूस्ती हेतु मनीराम द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी व 229 (2)आरटीरए पेश किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने मनीराम का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि " प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र अ0धा0 152 सीपीसी एवं 229 (2)आरटीए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अपील संख्या 24/2016 को मनीराम बनाम नोंरा पढ़ा जावे। शेष आदेश यथावत रखा जाता है।" इस प्रकार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर में दायर अपील संख्या 24/2016 अनवान मनीराम बनाम नोंरा आदि दिनांक 17.3.2016 स्वीकार की उपखण्ड़ अधिकारी, सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 31.8.2015 आपस्त कर दिया गया। चूंकि जब उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ का निर्णय ही खारिज हो गया तो उक्त निर्णय के आधार पर स्वीकृत इंतकाल दिनांक 02.9.2020 स्वतः ही खारिज हो गया। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का इंतकाल खारिज किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 02 ने अपील स्वीकार की जाने पर कोई ऐतराज दायर नहीं किया।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा बहस उभय की बहस पर चिंतन मनन किया। पत्रावली के अवलोकन किया जिससे पाया कि चन्दुराम के वारिसान परमेश्वरी आदि द्वारा अपीलांट के विरूद्व एक वाद पत्र न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड़ अधिकारी, सूरतगढ के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 53, 183, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया जो वाद संख्या 133/08 पर अनवानी परमेश्वरी आदि बनाम मनीराम से दर्ज रजिस्टर किया गया बाद में एक अन्य वाद पत्र मनीराम की बहन नोंरा ने न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ के न्यायालय में अन्तर्गत धारा धारा 88, 53, 183, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया जो वाद संख्या 171/13 पर अनवानी नोंरा बनाम मनीराम आदि से दर्ज किया गया। दोनों वाद पत्रों को एक साथ सुना जाकर एक निर्णय से ही दोनों वाद पत्र स्वीकार कर सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ निर्णय व डिक्री दिनांक 31.8.2018 पारित करते हुए दिनांक 31.8.2015 को स्वीकार किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट (मनीराम) द्वारा दोनो वादो के विरूद्ध अलग अलग अपीले माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर में प्रस्तुत की जो अपील संख्या 96/2015 तथा 24/2016 पर दर्ज की गई तथा दोनो अपीलों का एक साथ निर्णय पारित कर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपील दिनांक 17.03.2016 को उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 31.08.2015 को अपास्त कर दिया तथा पर्चा डिक्री जारी कर दी। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के प्रकरण अपील संख्या 24/2016 का अनवान सहवन से मनीराम बनाम परमेश्वरी अंकित हो गया था, जिसकी दुरूस्ती हेतु मनीराम द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी व 229 (2)आरटीरए पेश किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने मनीराम का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि " प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र अ0धा0 152 सीपीसी एवं 229 (2)आरटीए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अपील संख्या 24/2016 को मनीराम बनाम नोंरा पढ़ा जावे। शेष आदेश यथावत रखा जाता है।" इस प्रकार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर में दायर अपील संख्या 24/2016 अनवान मनीराम बनाम नोंरा आदि दिनांक 17.3.2016 स्वीकार की उपखण्ड़ अधिकारी, सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 31.8.2015 अपास्त कर दिया गया।

चूंकि जब उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 31.8.2015 ही माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 17.3.2016 द्वारा अपास्त कर दिया गया तो

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के निर्णय की पालना में स्वीकृत किया गया इंतकाल 652 दिनांक 02.9.2020 स्वतः ही खारिज हो गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा तथा अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार राजियासर का इंतकाल संख्या 652 दिनांक 02.9.2020 खारिज किया जाता है। पत्रवली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.3.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़